FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... शौर्य .... बनाम प्रतीक.

करम मुकदमा .... नं. 168/15. सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/2/20	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनु0। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC का स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद पत्र 8ग-188 खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखकर उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर अभिलेखागार में दाखिल हो। [signature]	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज॰)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)
दावा संख्या :: 168 / 2015

धैर्य पुत्र प्रतीक पालीवाल निवासी बिछोर तह0 बेगूँ — बनाम — प्रतीक पुत्र हीराशंकर पालीवाल निवासी बिछोर तह0 बेगूँ

वादपत्र अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :: श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता वादीगण
श्री एस.सी.टेलर
अधिवाक्ता प्रतिवादी

आदेश दिनांक :– 11.02.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.संहिता

दावा पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादी श्री एस.सी.टेलर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया है कि :

यह कि वादीगण ने अपने पिता प्रतिवादी के वियद्ध उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान का.अधि. का प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है कानूनन सन्तान को अपने विरूद्ध न तो घोषणा कराने का एवं न ही निषेधाज्ञा का वाद लाने का कोई अधिकार है इसलिए वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं है।

यह कि श्रीमति आशा पालीवाल वादी संख्या एक व दो की न तो संरक्षक है एवं न ही दोनो इसके पास रहते है। श्रीमति आशा पालीवाल प्रतिवादी की पॉच बहनो मे से एक बहन है। प्रतिवादी ने अपने बच्चो वादी संख्या 1 व 2 दोनो को श्रीमति आशा पालीवाल की अभिरक्षा में नहीं दिया। जबकि प्रतिवादी पिता जीवित है तो वादी संख्या 1व 2 के अन्य किसी को संरक्षकता की आवश्यकता कैसे पैदा हो गई? वादी संख्या 1 व 2 दोनो ही प्रतिवादी की अभिरक्षा एवं संरक्षण में है। इसलिए श्रीमति आशा पालीवाल के पक्ष में वादी संख्या 1 व 2 के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता एवं न ही श्रीमति आशा पालीवाल वादी संख्या 1 व 2 की संरक्षक है।

यह कि वाद कारण के अभाव में वादीगण का प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के वाद को वाद कारण के अभाव में आदेश 07 नियम 11 व्य.प्र.संहिता के खारिज फरमाया जावें।

दावा पत्रावली में प्रस्तूत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.संहिता का प्रत्युत्तर अधिवक्ता वादी (अप्रार्थी) द्वारा प्रस्तूत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि विवादित जमीन मौरूसी होने से वादीगण का अधिकार जन्म से हो गया ओर अपने पिता के जीवनकाल में अपने हक के विरूद्ध कार्य होने पर उसे रोके जाने हेतु कानूनन वाद लाने का सक्षम अधिकारी है। वाद में विस्तृत विवरण दिया हे।

यह कि वाद प्रस्तूत करने के लिए नियमानुसार प्रार्थना पत्र दिया है। नाबालिग के हित की रक्षा करने के लिए बुआ उपर्युक्त व्यक्ति है जो स्वयं के लिए कोई मंशा नहीं कर रही है। नाबालिग लड़के के हित की रक्षा हेतू स्वयं के खर्चे से बुआ वाद लड रही है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) लगातार
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

यह कि दोनो वादीगण नाबालिग है और यदि उनके हित के विरूद्ध कोई कार्य होता है अथवा होने की संभावना है तो कोर्ट स्वयं उसके हित में कार्यवाही कर सकती है तथा किसी को भी उसका संरक्षक बना सकती है। प्रार्थी प्रतिवादी ने गलत व मिथ्या प्रार्थना पत्र दिया है सो खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तूत किये जाने पर उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व्य.प्र.संहिता पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में निवेदन इस प्रकार किया कि वादपत्र में वादीगण के पक्ष में कोई वाद कारण उत्पन्न ही नहीं होता है, वादीगण नाबालिग है जिनका संरक्षक प्रतिवादी प्रतीक उनका पिता है, वादी सं. 1 व 2 प्रतिवादी की अभिरक्षा एवं संरक्षण में है श्रीमति आशा पालीवाल जो प्रतिवादी की बहिन है, प्रतिवादी के नाबालिग पुत्रों की संरक्षक नहीं है, जब पिता जीवित है तो अपने बच्चो वादीगण अन्य किसी की संरक्षकता की आवश्यकता कैसे पैदा हुई, यह स्पष्ट नहीं है किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी.पर बहस कर न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 1997 पृष्ट 205 की छायाप्रति जयपुर बैन्च के निर्णय कैलाशचन्द्र बनाम बजरंगलाल में अंकित किया है " Specific Relief Act(47 of 1963),Ss.38,41-Injunction- Coparcenary property Alienation of, made by karta- Coparcener cannot move Court for injunction restraining karta from alienating coparcenary property.

न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 1998 पृष्ट 577 की छायाप्रति सुप्रीमकोर्ट के निर्णय सुनिलकुमार व अन्य बनाम रामप्रकाश व अन्य में अंकित किया है Specific Relief Act(47 of 1963),Ss.38(h),41- Permanent injunction- Father,a Karta of joint family intending to alienate house property for legal necessity-Suit for permanent injunction for restraining him from.

अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को वादकारण के अभाव में खारिज फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता वादी (अप्रार्थी) ने निवेदन किया कि वादीगण नाबालिग होने से उनकी बुआ की संरक्षण में है न की उनके पिता के संरक्षण में, वाद वर्णित आराजी मौरूसी (पुश्तैनी) जायदाद है जिसमें वादीगण का भी हक उनके जन्म से ही उन्हें प्राप्त है, जिसके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की घोषणा के तहत वादीगण प्राप्त करने का अधिकार रखते है, तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार भी रखते है कि प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें,। दोनो ही वादी सं. 1 व 2 अपनी बुआ के संरक्षण में है तथा उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अपना हक लेने का अधिकार होने से उनके नाबालिग होने के कारण उनकी बुआ द्वारा अपने को उनका संरक्षक अंकित कर यह वादपत्र प्रस्तूत किया है, प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा गलत एवं मिथ्या प्रार्थना पत्र वादीगण को उनके हक हिस्से से महरूम किये जाने का प्रस्तूत कर वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है , प्रतिवादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का खारीज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर ध्यानपूर्वक सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा दावा पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण की ओर से वादपत्र वादवर्णित आराजीयात को मौरूसी (पुश्तैनी) आराजी बताते हुए उक्त वादपत्र को प्रस्तूत किया गया है, किन्तु पत्रावली में उक्त आराजी पुश्तैनी होने के

----लगातार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

सम्बन्ध में कोई भी ठोस दस्तावेज प्रस्तूत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादीगण को उक्त आराजी में अपना अधिकार पिता के जीवित रहते हो प्राप्त है। साथ ही पत्रावली में वादीगण की संरक्षक उनकी बुआ आशा पिता हीराशंकर निवासी बिछोर वादीगण की संरक्षक हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तूत नहीं किया गया है, वादीगण की ओर से उनकी बुआ द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 3 जा.दी. का प्रस्तूत अवश्यक ही किया गया है किन्तु उस पर न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं होने से वादीगण की बुआ को वादीगण की संरक्षक मान लिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

चूँकि वादीगण नाबालिग है, तथा प्रस्तूत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी में प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा उक्त दोनो नाबालिग पुत्रो का संरक्षक प्रतिवादी उनके पिता प्रतीक को ही उनका संरक्षक अंकित किया गया जिसका खण्डन भी वादीगण के अधिवक्ता ने नहीं कर कोई दस्तावेज भी प्रस्तूत नहीं किया है, वादपत्र में वादीगण की बुआ के विरूद्ध वादकारण किस प्रकार उत्पन्न होता है यह तथ्य दावा पत्रावली में स्पष्ट नहीं है जबकि वादीगण नाबालिग है। वाद वर्णित आराजीयात पुश्तैनी होना दस्तावेजी सबूत से सिद्ध नहीं होने व वादीगण के संरक्षक के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होने से प्रतिवादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तूत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः दावा पत्रावली में प्रतिवादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तूत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व्य.प्र.संहिता का स्वीकार किया जाता है, तथा वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.02.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner